Delhi:

There is no such major project in U.T. of Delhi which involves resettlement antl rehabilitation of oustees. Hence, no comments.

Bihar;

Acceptable in Principle.

वन (संरक्षण) अधिनियम द्वारा प्रभावित परियोजनाएं

6194. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रभावित है ;

(ख) कौन-कौन सी परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं तथा वर्ष 1980 से पूर्व इन परियोजनाओं का कुल कितना कार्य पूरा किया गया है और ऊन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. धुंगन) :

(क) से (घ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क० स.	परियोजना का नाम	शामिल वन भूमि (हेक्ट.)	अद्यतन अनुमानित लागत	3/80 तक व्यय	1980–92 के दौरान व्यय	आठवीं योजना परिव्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	बृहद अनुमोदित निर्माणाधीन परियोजनाएं :						
1.	राजघाट नहर परियोजना . .	29.41	126.43	5.15	35.01	70.00	परामर्शदात्री समिति द्वारा 11/93 में स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
2.	मन्दाहा बांध	92.80	95.93	5.46	54.34	15.41	परामर्शदात्री समिति द्वारा 11/79 में स्वीकृत की गई। राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना करनी है तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बाणसागर नहर परियोजना . .	445	190.29	शून्य	2.57	192.86	परामर्शदात्री समिति द्वारा 1/94 में पर्यावरण और वन स्वीकृति के अधीन स्वीकृत की गई ।
4.	चित्तौड़गढ जलाशय . . .	405	30.33	2.14	18.16	10.42	राज्य सरकार द्वारा जल विज्ञान तथा सिंचाई आयोजना पहलुओं को केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत करवाना है ।
5.	कन्हर सिंचाई परियोजना . .	980	174.27	12.94	21.31	107	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त किए जाने के अलावा केन्द्रीय जल आयोग से अंतर्राज्यीय पहलुओं, जल विज्ञान और सिंचाई आयोजना पहलुओं को स्वीकृत करवाना है ।
6.	मेजा बांध को ऊंचा उठाना . .	474	52.18	4.88	32.24	8.00	परामर्शदात्री समिति द्वारा 3/86 में विचार किया गया और राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना किये जाने की शर्त पर स्वीकार्य पाया गया ।

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	घग्घर नहर का आधुनिकीकरण . .	111	26.56	1.52	15.81	8.62	राज्य सरकार द्वारा जल विज्ञान पहलुओं को अंतिम रूप देने के बाद, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी है ।
ख.	वृहद, अनुमोदित निर्माणाधीन परियोजनायें :						
1.	मध्य गंगा नहर-1	534	448.19	27.29	252.97	145.00	जनवरी, 1976 में अनुमोदित । पर्यावरण स्वीकृति के अधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा नवंबर, 93 में संशोधित लागत पर स्वीकार किया गया ।
2.	पूर्वी गंगा नहर	343	258.48	1.19	140.89	100.00	मार्च, 80 में अनुमोदित । परामर्शदात्री समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के अधीन नवंबर, 93 में संशोधित लागत स्वीकार की गई ।
3.	जामरानी	404	194.00	6.23	12.12	50.00	मई, 1975 में अनुमोदित परामर्शदात्री समिति द्वारा मई, 89 में हुई 43वीं बैठक में पर्यावरण और वन स्वीकृति के अधीन 144.94 करोड़ रुपए की संशोधित लागत पर स्वीकार किया गया ।

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सारदा सहायक . . .	826	1064.60	303.5	429.96	300.00	अगस्त, 1968 में 64.84 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित । 19987 करोड़ रुपए प्रथम संशोधित अनुमान जनवरी, 1976 में अनुमोदित किया गया। सभी संशोधनों को शामिल करते हुए दूसरा संशोधित अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है।
5.	सरयू नहर	733	1256.00	30.92	299.00	175.00	अगस्त 1973 में 78.68 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित। सभी संशोधनों को शामिल करते हुए प्रथम संशोधित अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है।
6.	लखवार व्यासी बहुप्रयोजनी . .	868	920.50	3.85	116.42	194.18	140.97 करोड़ रुपए की लागत पर 1/76 में अनुमोदित। प्रथम संशोधित अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है।

टिप्पणी : राज्य सरकार द्वारा, जहां कहीं आवश्यक है, पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करनी हैं।